

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-27/2025

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक-2308 दिनांक 15.06.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अंकुर सेन (आई0डी0 सं0-J11988), कनीय अभियंता (असैनिक), दुर्गावती कार्य प्रमंडल, चेनारी का अपने स्वयं की शादी हेतु दिनांक 06.04.2026 से 21.04.2026 तक कुल-16 (सोलह) दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी को उनके पत्रांक-2308 दिनांक 15.06.2026 के प्रसंग/अधीक्षण अभियंता, दुर्गावती निर्माण अंचल, भीतरीबाँध/कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती कार्य प्रमंडल, चेनारी / श्री अंकुर सेन (आई0डी0 सं0-J11988), कनीय अभियंता (असैनिक), दुर्गावती कार्य प्रमंडल, चेनारी में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 3901 पटना, दिनांक - 09/07/2026
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

NOAS 06/07/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।